भट्ठूराम बनाम भगवानाराम वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु० नं० – 308/2012	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
30-4-18	8 29-5-18 चौमूं पुरोहितान 10-5-18	
10.05.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– चौमूं पुरोहितान् के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र स्थगन वर्ष 2012 से न्यायालय में लम्बित चला आ रहा है तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से आदिनांक तक भी जवाब प्रार्थना पत्र स्थगन पेश नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब देही का अवसर बन्द किया जाता है। प्रकरण में स्थगन आदेश दिनांक 09.11.2012 से चल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर प्रकरण में तादौराने मूल अपील नामान्तकरण के फैसले तक अप्रार्थीगण् को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजियात् भूमि खसरा नम्बर 228 से 231 कुल किता 10 कुल रकबा 6.18 हैक्टर व खसरा नम्बर 232, 233, 250 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सन्तोषपुरा पटवार हल्का चौमूं पुरोहितान् के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प– चौमूं पुरोहितान् के मजमे – ए– आम में सुनाया गया। (ब्रह्म लाल जाट) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प:–चौमूं पुरोहितान	

Scanned by CamScanner